



भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज बोर्ड

ग्रेड-बी (डीईपीआर/डीएसआईएम) में अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम - 2018

1) [साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर – डीईपीआर - 2018](#)

2) [साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर – डीएसआईएम - 2018](#)

टिप्पणी: उक्त परीक्षा के लिए अंकसूची एवं श्रेणीवार कट-ऑफ, चयन प्रक्रिया पूरी होने और भर्ती के अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। उपरोक्त परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी, डंप कुंजी आदि प्रस्तुत करने संबंधी आरटीआई प्रश्नों पर चयन प्रक्रिया पूरी होने और इस भर्ती के अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही विचार किया जाएगा।

चयनित उम्मीदवारों के लिए निर्देश:

1. डीईपीआर और डीएसआईएम - 2018 भर्ती के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र (**नए रोल नंबर के साथ**), जिसमें साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान दर्शाया जाएगा, उन्हें उनके पंजीकृत ईमेल पते पर अलग से भेजा जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने मेलबॉक्स, स्पैम और जंक बॉक्स सहित, की जाँच अवश्य करें।
2. सभी चयनित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-मेल आईडी से साक्षात्कार कॉल लेटर का प्रिंटआउट लें और साक्षात्कार के दिन उसकी हार्ड कॉपी, अपनी पात्रता के समर्थन में सभी मूल दस्तावेजों के साथ लेकर आएं।
3. कृपया जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता (मैट्रिकुलेशन/एसएससी परीक्षा से) के समर्थन में दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी का एक सेट भेजें - सभी वर्षों/सेमेस्टर की अंकतालिका और उत्तीर्णता/डिग्री प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि अजा/अजजा/अपिव), दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति-दिव्यांगजन), कार्य अनुभव, आदि।
4. शैक्षणिक योग्यता के संबंध में, यदि अंकों के प्रतिशत के बजाय, कुल ग्रेड पॉइंट (अर्थात् CGPA/OGPA/CPI, आदि) आवंटित किए जाते हैं, तो अभ्यर्थी को बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्धारित रूपांतरण मानदंड अप्रेषित करने होंगे। रूपांतरण मानदंड अंक-पत्र पर मुद्रित होना चाहिए या अभ्यर्थी को बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित प्रति प्राप्त करके हमें अप्रेषित करनी होगी। यदि वे



भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज बोर्ड

ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो भर्ती विज्ञापन संख्या 6A/2017-18 के नोट ॥ से पैरा 3 (III) में उल्लिखित रूपांतरण मानदंड लागू होंगे।

5. यदि चयनित अभ्यर्थी ने आयु में छूट का कोई लाभ लिया है तो उसे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. स्टाफ उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/सीओडी के एचआरएमडी/स्टाफ अनुभाग के माध्यम से जमा करने चाहिए।

7. महत्वपूर्ण:

कृपया नीचे उल्लिखित प्रासंगिक प्रोफार्मा का प्रिंटआउट लें, उसे विधिवत भरें और पूरा करें तथा उपरोक्त प्रमाणपत्रों की प्रति के साथ "महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, तीसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई 400008" को कूरियर/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजें ताकि यह आरबीआई वेबसाइट पर परिणाम की घोषणा की तारीख से सात दिनों के भीतर बोर्ड के कार्यालय में पहुंच जाए।

(i) सभी अभ्यर्थी - सत्यापन प्रपत्र की 5 प्रतियां (पहचान प्रमाण पत्र मूल होना चाहिए) हस्ताक्षरित फोटोग्राफ के साथ तथा बायोडाटा की 6 प्रतियां (एक मूल और अन्य फोटोकॉपी) निर्धारित आकार की, फोटोग्राफ चिपकाए और हस्ताक्षरित।

(ii) ओबीसी उम्मीदवार - उपरोक्त (i) के अतिरिक्त, निर्धारित प्रारूप के अनुसार नवीनतम अपिव जाति प्रमाण पत्र (01.07.2017) को या उसके बाद जारी) और अपिव घोषणा की मूल प्रति।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी - उपरोक्त (i) के अतिरिक्त, निर्धारित प्रारूप के अनुसार नवीनतम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र।

(iv) दिव्यांग उम्मीदवार - उपरोक्त (i) [और (ii)/(iii)-यदि लागू हो] के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जिन उम्मीदवारों ने स्काइब की सुविधा ली है (दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को छोड़कर) उन्हें भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी अधिकृत विभाग/अस्पताल से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उम्मीदवार को लिखने में शारीरिक रूप से अक्षमता है, जिसमें गति की कमी भी शामिल है। यह प्रमाण पत्र उसके दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवश्यक होगा। लिखने में शारीरिक



भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज बोर्ड

अक्षमता, जिसमें गति की कमी भी शामिल है, के बारे में चिकित्सा प्रमाण पत्र ऑनलाइन/लिखित परीक्षा/टेस्ट की तिथि से पहले का होना चाहिए।

अस्वीकरण: यद्यपि सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करते समय अत्यधिक सावधानी बरती गई है, फिर भी बोर्ड अनजाने में हुई त्रुटियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है।